न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 238/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/385

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
पवनकुमार गहलोत पुत्र गिरधारीलाल जाति माली निवासी गांधीपुरा बालोतरा		1.घीसूलाल पुत्र गुलाबचंद के वारिसान 1/1.गौतम चौपड़ा पुत्र घीसूलाल 1/2.राजेन्द्रकुमार पुत्र घीसूलाल 1/3.तनुजा बलराज ढेलकिया पुत्री घीसूलाल जाति ओसवाल निवासी कनाना तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 2.मंजूदेवी पत्नि राधेश्याम जाति माली निवासी माली समाज भवन के पास बालोतरा 3.प्रदीपकुमार बाफना पुत्र मांगीलाल जाति ओसवाल निवासी हिमाड़ा जसोल तहसील पचपदरा 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 5.श्रीमति विजयलक्ष्मी पत्नि अरूणकुमार जाति बाहम्रण निवासी किंग्स विला के सामने,छत्रियो मोर्चा से तृतीय फाटक बाईपास बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी
2.विप्रार्थी एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 27/10/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1464/326 क्षेत्रफल 0.6556 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे अवस्थित है,जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा–काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की मौका स्थिति के अनुरूप तरमीम किए जाने के बजाय मौके से विपरीत जाकर अशुद्व तरमीम की गई। जिसके कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतं प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की अशुद्व तरमीम को निरस्त किया जाकर मौका कब्जा–काश्त व जमाबंदी मे दर्ज रकबे अनुसार माफिक परिशिष्ट अ मुताबिक तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्यापत अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण विप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित की जाती है।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1464/326 क्षेत्रफल 0.6556 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे अवस्थित है,जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा–काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की मौका स्थिति के अनुरूप तरमीम किए जाने के बजाय मौके से विपरीत जाकर अशुद्व तरमीम की गई। जिसके कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अशुद्व तरमीम के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद बना रहता है,जिसके कारण प्रार्थी को परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नही हो रहा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट के अनुरूप विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस मे मुख्य उजर उठाया कि विवादित भूमि की मौका कब्जा काश्त के विपरीत तरमीम को अपास्त कर नजरी नक्शा परिशिष्ट अ मे दर्शितानुसार तरमीम की जावे। विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गई थी,मौका रिपोर्ट मे स्पष्ट अंकन है कि विवादित भूमि की तरमीम मौका कब्जा काश्त के विपरीत हो रखी है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विप्रार्थीगण बावजूद तामीली के उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थी को प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किए जाने की मौन स्वीकृति है,यदि आपति होती तो उजर–एतराज पेश करते,लेकिन ऐसा नही किया गया। इसके उपरांत भी न्यायालय हाजा यह उचित समझता है कि प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को रिमाण्ड किया जाना उचित रहेगा।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1464/326 क्षेत्रफल 0.6556 हैक्टयर की विदयमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी का संपरिवर्तन नक्शा एवं विदयमान लटढा नक्शा का मिलान करते हुए मौका कब्जा स्थिति एवं रेकर्ड के आधार पर नियमानुसार नये सिरे से तरमीम दुरूस्ती किया जाना सुनिश्चित करावें।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
27/10/2025

आदेश आज दिनांक 27/10/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
27/10/2025